



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2012/अग्रहायण 14, 1934

No. 2331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2012/AGRAHAYANA 14, 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

का.आ. 2825(अ).—गर्भ-धारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 85 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (कार्य संचालन) विनियमन, 1999 के विनियम-5 के साथ पठित गर्भ-धारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 11(1) के संदर्भ में, आगामी आदेशों तक केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में निम्नलिखित विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे :—

37 सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

विशेष आमंत्रिती

[सं. एन-24026/01/2004-पीएनडीटी।

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 85(अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी और इसमें संशोधन का. आ. 160(अ) दिनांक 28 फरवरी, 1998 के माध्यम से किया गया और आगे के संशोधन का. आ. 694(अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998; का. आ. 61(अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; का. आ. 114(अ) दिनांक 1 फरवरी, 2000; का. आ. 394(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; का. आ. 931(अ) दिनांक 19 सितम्बर, 2001; का. आ. 590(अ) दिनांक 31 मई 2002; का. आ. 119(अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002; का. आ. 703(अ) दिनांक 18 जून, 2003; का. आ. 1458(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; का. आ. 99(अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004; का. आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004; का. आ. 1008(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; का. आ. 56(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2006; का. आ. 199(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2006; का. आ. 1854(अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; का. आ. 1506(अ) दिनांक 16 जून, 2008; का. आ. 130(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2009; का. आ. 2143(अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009; का. आ. 779(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011; का. आ. 85(अ) दिनांक 11 जनवरी, 2012; का. आ. 1272(अ) दिनांक 25 मई, 2012; और का. आ. 2613(अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2012

S.O. 2825(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85(E) dated the 5th February, 1997 issued by the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely :—

2. In terms of Section 11(1) of the Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 read with regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulation, 1999, the following shall be the Special Invitee in the Central Supervisory Board (CSB) till further orders :

37 Secretary, Ministry of Women and Child Development, Govt. of India. Special Invitee

[No. N. -24026/01/2004-PNDT]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Footnote:— The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.O.85(E) dated 5th February, 1997 and amended *vide* S.O. 160 dated 28th February, 1998 and further amended *vide* S.O. 694(E) dated 13th August 1998; S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O. 114(E) dated 1st February, 2000; S.O. 394(E) dated 20th April, 2001; S.O. 931(E) dated 19th September, 2001; S.O. 590(E) dated 31st May, 2002; S.O. 119(E) dated 12th November, 2002; S.O. 703(E) dated 18th June, 2003; S.O. 1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O. 99(E) dated 20th January, 2004; S.O. 367(E) dated 17th March, 2004; S.O. 1008(E) dated 16th September, 2004.; S.O. 56(E) dated 19th January, 2006; S.O. 199(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O. 1506(E) dated 16th June, 2008; S.O. 130(E) dated 6th January, 2009; S.O. 2143(E) dated 20th August, 2009, S.O. 779(E) dated 28th April, 2011; S.O. 85(E) dated 11th January, 2012 ; S.O. 1272(E) dated 25th May, 2012 and S.O. 2613(E) dated 25th October, 2012.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2168]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2012/कार्तिक 7, 1934

No. 2168]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2012/KARTIKA 7, 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2613(अ).— गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा-8 के साथ पठित धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.85(अ) दिनांक 5 फरवरी, 1997 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19, 20, 21 और 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

19.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), बिहार सरकार	सदस्य
20.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
21.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
22.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

3. केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (कार्य संचालन) विनियमन, 1999 के विनियम-5 के साथ पठित गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा-11(1) के संदर्भ में, आगामी आदेशों तक केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में निम्नलिखित विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे:-

31.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), पंजाब सरकार	विशेष आमंत्रित
35.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), राजस्थान सरकार	विशेष आमंत्रित
36.	सचिव (स्वा. एवं प.क.), उत्तर प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित

फुटनोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.आ.85(ई) दिनांक 5 फरवरी, 1997 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी और इसमें संशोधन सा.आ.(16) दिनांक 28 फरवरी, 1998 के माध्यम से किया गया और आगे के संशोधन सा.आ. 694(ई) दिनांक 13 अगस्त, 1998; सा.आ. 61(ई) दिनांक 14 जनवरी, 2000; सा.आ. 114(ई), दिनांक 1 फरवरी, 2000; सा.आ. 394(ई) दिनांक 20 अप्रैल, 2001; सा.आ.931(ई) दिनांक 19 सितम्बर, 2001; सा.आ.590(ई) दिनांक 31 मई, 2002; सा.आ.119(ई) दिनांक 12 नवम्बर, 2002; सा.आ.703(ई) दिनांक 18 जून, 2003; सा.आ.1458(ई) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003; सा.आ.99(ई) दिनांक 20 जनवरी, 2004; सा.आ.367(ई) दिनांक 17 मार्च, 2004; सा.आ.1008(ई) दिनांक 16 सितम्बर, 2004; सा.आ.56(ई) दिनांक 19 जनवरी, 2006; सा.आ.199(ई) दिनांक 10 फरवरी, 2006; सा.आ.1854(ई) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006; सा.आ.1506(ई) दिनांक 16 जून, 2008; सा.आ.130(ई) दिनांक 6 जनवरी, 2009; सा.आ.2143(ई) दिनांक 20 अगस्त, 2009; सा.आ.779(ई) दिनांक 28 अप्रैल, 2011; सा.आ.85(ई) दिनांक 11 जनवरी, 2012 और सा.आ.1272(ई) दिनांक 25 मई, 2012 के माध्यम से किए गए।

[फा. सं. एन-24026/01/2004-पीएनडीटी]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2012

S.O. 2613(E).— in exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Family Welfare). No. S.O.85 (E) dated the 5th February, 1997,

2. In the said notification, for serial numbers 19, 20, 21 and 22 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted namely:-

19.	Secretary (H&FW), Govt. of Bihar	Member
20.	Secretary (H&FW), Govt. of Himachal Pradesh	Member
21.	Secretary (H&FW), Govt. of Madhya Pradesh	Member
22.	Secretary (H&FW), Govt. of Maharashtra	Member

The term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders whichever is earlier.

3. In terms of Section 11(1) of the Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 read with regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulation, 1999, the following shall be the Special Invitees in the Central Supervisory Board (CSB) till further orders:-

31	Secretary (H&FW), Govt. of Punjab	Special Invitee
35	Secretary (H&FW), Govt. of Rajasthan	Special Invitee
36	Secretary (H&FW), Govt. of Uttar Pradesh	Special Invitee

[F.No.N-24026/01/2004-PNDT]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Footnote:—The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.O.85(E) dated 5th February, 1997 and amended vide S.O. (160) dated 28th February, 1998 and further amended vide S.O. 694(E) dated 13th August 1998; S.O. 61(E) dated 14th January, 2000; S.O. 114(E) dated 1st February, 2000; S.O. 394(E) dated 20th April, 2001; S.O. 931(E) dated 19th September, 2001; S.O. 590(E) dated 31st May, 2002; S.O. 119(E) dated 12th November, 2002; S.O. 703(E) dated 18th June, 2003; S.O. 1458(E) dated 23rd December, 2003; S.O. 99(E) dated 20th January, 2004; S.O. 367(E) dated 17th March, 2004; S.O. 1008(E) dated 16th September, 2004; S.O. 56(E) 19th January, 2006; S.O. 199(E) dated 10th February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30th October, 2006; S.O. 1506(E) dated 16th June, 2008; S.O. 130(E) dated 6th January, 2009, S.O. 2143(E) dated 20th August, 2009, S.O. 779(E) dated 28th April, 2011, S.O. 85(E) dated 11th January, 2012 and S.O. 1272(E) dated 25th May, 2012.